09.09.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी का मूल प्रर्थाना पत्र 251 ''ए'' निर्णय हो गया। मूल प्रार्थना पत्र निर्णय होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल प्रार्थना पत्र निर्णय होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251''ए'' आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.09.17 18:26:00 IST
Reason: SelfAttested